



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1935 (श0)
(सं0 पटना 372) पटना, बृहस्पतिवार, 9 मई 2013

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
9 मई 2013

एस०ओ० 218, दिनांक 9 मई 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 51 दिनांक 04 मई, 2006 के साथ उपाबद्ध तालिका में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा—

संशोधन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या एस०ओ० 51 दिनांक 04 मई, 2006 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्याएँ तथा स्तम्भ (2) एवं (3) में उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जायेंगी, यथा—

2	मोटर स्पिरिट	10 प्रतिशत
3	बीड़ी छोड़कर तम्बाकू उत्पाद	15 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना उसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-02/2013—1587(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

9 मई 2013

एस०ओ० 219, एस०ओ० 218, दिनांक 9 मई 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-02/2013—1587(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र कुमार सिन्हा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 9th May 2013

S.O. 218, dated 9th May 2013—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to the Table appended to Departmental Notification Number S.O. 51 Dated 4th May, 2006:-

Amendment

1. After Serial Number 1 of the Table appended to Departmental Notification Number S.O. 51 Dated 4th May, 2006 the following new serial numbers and the corresponding entries in columns (2) and (3) shall be inserted, namely—

2	Motor Spirit	10%
3	Tobacco products except Biri	15%

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri Kar/Sansodhan-02/2013—1587(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA,
Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 372-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>